कार्यालय प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, बिजनौर

पत्रांकः स–5 / सी0एफ0ओ0.(स्कूल) / 2018 दिनांकः मार्च, 14, 2018

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक
आर0 आर0 पब्लिक स्कूल
स्योहारा रोड नूरपुर तहसील चान्दपुर
जनपद बिजनौर

बिषयः आर0 आर0 पब्लिक स्कूल स्योहारा रोड नूरपुर तहसील चान्दपुर जनपद बिजनौर को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उक्त बिषयक / सदंर्भित आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 10–03–2018 के क्रम में वर्णित शैक्षिक भवन में स्थापित आर0 आर0 पब्लिक स्कूल स्योहारा रोड नूरपुर तहसील चान्दपुर जनपद बिजनौर को नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीशीलन किया गया उक्त विद्यालय भवन को इस कार्यालय के पत्रांक सम दिनांक 09–06–2010 के द्वारा पूर्व में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है तथा परिक्षण करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

01– विद्यालय भवन भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर निर्मित है जिसको शैक्षिक कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है।

02– विद्यालय भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 21:90 के अनुसार स्थापित हैं जो वर्तमान में कार्यशील दशा में उपलब्ध हैं।

03– विद्यालय भवन में 12 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर, तथा 12 अदद् फायर बकेट्स उपलब्ध हैं।

04– विद्यालय भवन में उपस्थित स्टाफ को अग्निशमन यन्त्रों के सचांलन की जानकारी दे दी गयी है।

05– स्वामी / प्रबन्धक द्वारा अग्निशमन उपकरणों की टैस्टिंग फीस चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में जमा करा दी गयी है।

06– निकास द्वार पर सांकेतिक चिन्ह अकिंत हैं।

07– फायर सर्विस के टेलीफोन नम्बरों की पट्टीका स्थापित करा दी गयी है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित रिट याचिका सख्यां–483 / 2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13–04–2009 का पालन अनिवार्य होगा जिसमें निर्देशित किया गया है कि–

01– किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधनित सुरक्षा मानकों के अनुरुप है।

02– विद्यालय भवन में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थों भण्डारण कदापि नहीं किया जायेगा।

03– समय–समय पर विद्यालय के भवन की सुदृढ़ता की समरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

04– विद्यालय भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा तथा प्रतिवर्ष इस प्रकार का प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था कर्यशील दशा में हैं।

05– विद्यालय भवन में प्रयोगशाला में एल0पी0जी0 का सुरक्षित प्रयोग करेंगे तथा शट–आफ वाल बाहर की ओर लगवायेंगे।

इस कार्यालय के ऊपर वर्णित पत्रों द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं समस्त अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने का दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा। इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणों के मेन्टीनेंस रजिस्टर विद्यालय में बनाकर रखा जायेगा जिसमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रिमासिक, अर्ध्द वार्षिक कार्यकलापों का विवरण अकिंत किया जायेगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पध्दति का अनुरक्षण व सावधि अग्निशमन लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार करानी अनिवार्य होगा।

अतः उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था हर समय बनाये रखने तथा दिये गये निर्देशों का पालन करने की शर्त पर आर0 आर0 पब्लिक स्कूल स्योहारा रोड नूरपुर तहसील चान्दपुर जनपद बिजनौर को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।

15/3/18

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
बिजनौर

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
जनपद–बिजनौर

PRINCIPAL
R. R. Public School
Seohara Road, Noorpur (Bijnor)

R. R. Public School
Aff. No. 2130688
Sch. Code 81197
Noorpur (Bijnor)

MANAGER
R. R. PUBLIC SCHOOL
Noorpur (Bijnor) U. P.